निगरानी / टी.ए./ 2891/ 2003/ जिला राजसमंद
उमा देवी बनाम मोहनी बाई

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
10–2–26	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री सम्पतलाल बोहरा, अभिभाषक प्रार्थी श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अप्रार्थीगण **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–230 के अंतर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 19/01 में पारित निर्णय दिनांक 2–4–03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अप्रार्थीगण वादी ने एक राजस्व वाद मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखंड अधिकारी नाथद्वारा के यहां निगरानी ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी बाबत् पेश किया। न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखंड अधिकारी नाथद्वारा ने उभय पक्ष को सुनकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 अपने निर्णय दिनांक 3–1–01 द्वारा स्वीकार कर विवादित आराजी के 1/4 को हस्तांतरित नहीं करने से अप्रार्थीया को पाबंद कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी ने अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के यहां पेश की। न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर ने उभय पक्ष को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 2–4–03 के द्वारा प्रार्थी की अपील खारिज कर दी तथा अप्रार्थीगण की क्रोस अपील को स्वीकार करते हुये मूल वाद के निर्णय तक सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी का हस्तांतरण/विक्रय नहीं करने से पाबंद कर दिया जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कहा कि अप्रार्थीगण का ना तो प्राईमाफेसाई केस था ना ही सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु उसके पक्ष में था। अपीलीय न्यायालय ने मनमर्जी से आलोच्य निर्णय पारित किया है। वादग्रस्त आराजी की प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिजकाश्त है। अप्रार्थीया का विवादित आराजी से कोई सारोकार नहीं है ना ही कब्जा है। सहायक कलेक्टर द्वारा 1/4 हिस्से के सबंध में दी गई अस्थाई निषेधाज्ञा को स्पष्ट रूपसे खारिज करना चाहिये था परंतु अपीलीय न्यायालय ने सम्पूर्ण भूमि के सबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निर्णय विधि विरूद्ध दिया है। विवादित आराजी का लालूराम मूल खातेदार था जिसे अपनी भूमि की वसीयत करने का पूरा अधिकार था तथा उसने रजिस्टर्ड वसीयत द्वारा यह भूमि प्रार्थीया को दी थी तथा कब्जा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	संभलाया था। वसीयत के आधार पर प्रार्थीया विवादित आराजी की खातेदार होकर काबिज काश्तकार है। विवादित आराजी पैतृक संपत्ति नहीं है। अपीलीय न्यायालय के निर्णय का मुख्य आधार लिखतम है। लिखतम को कानूनन देखा नहीं जा सकता। प्रार्थीया द्वारा कोई लिखतम नहीं की है तथा ऐसी लिखतम साक्ष्य में ग्राहय नहीं है और ना ही उसे देखा व पढा जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद के निस्तारण तक 1/4 हिस्से पर अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की थी। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरूद्ध व त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावे। 4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने प्रतिउत्तर बहस में कहा कि लालू ने अपने एक पुत्र की बहु के नाम प्रश्नगत वसीयत गलत कर दी जिस पर जाति पंचायत के बीच सभी पक्षों में राजीनामा हुआ। जिसमें इस भूमि को मौरूसी माना गया और एक लिखा–पढी हुई जिस पर प्रार्थीया उमादेवी के हस्ताक्षर है। वसीयत के आधार पर विवादित आराजी उमादेवी के नाम गलत दर्ज हो गई। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय ने सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि को बेचान/हस्तांतरण नहीं करने का स्थगन दिया है। विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित है और अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय में ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः निगरानी खारिज की जावे। 5. पत्रावली का अवलोकन किया और दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। 6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थीगण वादी ने एक राजस्व वाद मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलेक्टर नाथद्वारा के यहां निगरानी ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी बाबत् पेश किया। न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी नाथद्वारा ने उभय पक्ष को सुनकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 अपने निर्णय दिनांक 3–1–01 के द्वारा स्वीकार कर विवादित आराजी के 1/4 को हस्तांतरित नहीं करने से प्रार्थीया को पाबंद कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीया ने अपील व अप्रार्थीगण ने क्रोस अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर के यहां पेश की। न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर ने उभय पक्ष को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 2–4–03 द्वारा प्रार्थीया की अपील को निरस्त करते हुये अप्रार्थीगण की क्रोस अपील को स्वीकार करते हुये मूल वाद के निर्णय तक सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी का हस्तांतरण/विक्रय नहीं करने से पाबंद कर दिया जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है। विचारण न्यायायल ने अप्रार्थीया का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	विवादित आराजी में लिखतम के आधार पर 1/4 हिस्सा मानते हुये विवादित आराजी खसरा नंबर 2014 व 2016 कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि के 1/4 हिस्सा प्रार्थीया द्वारा स्वीकार किये जाने के आधार पर 1/4 हिस्से को हस्तांतरित नहीं करने के आदेश दिये। जिसके विरूद्ध प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील को प्रथम अपीलीय न्यायालय ने खारिज करते हुये अप्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत क्रोस अपील को स्वीकार करते हुये सम्पूर्ण विवादित आराजी का हस्तांतरण/विक्रय नहीं करने का आलोच्य आदेश पारित किया है। इस एकल पीठ के विनम्र मत में वादी अप्रार्थीया मोहनी बाई द्वारा वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी में लिखतम के आधार पर 1/4 हिस्से की खातेदारी का अनुतोष प्रार्थीया से चाहा है तथा प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में वसीयत के आधार पर सम्पूर्ण विवादित आराजी की खातेदार दर्ज है। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण भूमि का हस्तांतरण/विक्रय नहीं करने के आलोच्य आदेश को तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। वादी अप्रार्थीया मोहनीबाई ने विवादित आराजी में लिखतम के आधार पर 1/4 हिस्से के संबंध में अनुतोष चाहा है जबकि अपीलीय न्यायालय ने अनुतोष से बढकर रिकोर्डेड खातेदार की सम्पूर्ण भूमि को ही हस्तांतरण/विक्रय नहीं करने से पाबंद किया है जो विधिसम्मत् नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थीया वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष के आधार पर ही 1/4 हिस्से बाबत् हस्तांतरण/बेचान नहीं करने का विधिसम्मत् आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को दरकिनार करते हुये आलोच्य निर्णय पारित करने में स्पष्टतः तात्विक त्रुटि कारित की है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। 7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर ने अप्रार्थीया की क्रोस अपील स्वीकार कर सम्पूर्ण विवादित आराजी का हस्तांतरण/विक्रय नहीं करने का आदेश पारित करने में स्पष्ट तात्विक त्रुटि कारित की है, जो समर्थनीय नहीं होकर निरस्तनीय है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का आलोच्य निर्णय निरस्त योग्य है। 8. परिणामतः हस्तगत निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2–4–03 निरस्त किया जाता है तथा न्यायालय सहायक कलेक्टर नाथद्धारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3–1–01 बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय आदेश प्रति लौटाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	